


मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ |

13/9/2019

नीलामी सूचना

30/12/2019

मेरठ विकास प्राधिकरण के 05 निष्पायोज्य वाहन जिसमें 03 एम्बेसडर, 01 रिफ्यूज कलेक्टर व 01 जेओसीओबी० मशीन की नीलामी दिनांक 08.01.20 को 12.00 बजे प्राधिकरण के मिंटिंग हाल में की जायेगी। इस हेतु इच्छुक व्यक्ति द्वारा उपाध्यक्ष, मेरठ वि० प्रा० मेरठ के पक्ष में 25,000/- का बैंक ड्रफ्ट बोली प्रारम्भ होने से पूर्व जमा कराया जाना होगा। विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्राधिकरण के नजारत अनुभाग या प्राधिकरण की वेबसाईट [www.mdameerut.in](http://www.mdameerut.in) से प्राप्त की जा सकती है।

  
प्रभारी अधिकारी—नजारत

मेरठ

विकास

प्राधिकरण,

मेरठ।

पत्रांक: ३०१२९१९ नजारत अनुभाग / 2019

दिनांक ३०।१।२०२०

मेरठ विकास प्राधिकरण के विभागीय 05 पुराने निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी दिनांक 08.01.2020 को 12.00 बजे प्राधिकरण के मिंटिंग हॉल में की जानी है। पॉच पुराने निष्प्रयोज्य वाहनों का विवरण एवं शर्तें निम्नवत् है :-

क्र.सं.	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	मॉडल	आरटी०ओ० आफिस द्वारा निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य
1.	यूपी१५आर-०००१	एम्बेसेडर कार	२००३	रु० २२,०००/-
2.	यूपी१५यू-०००१	एम्बेसेडर कार	२००५	रु० २५,०००/-
3.	यूपी१५यू-०९९०	एम्बेसेडर कार	२००४	रु० २५,०००/-
4.	यूपी१५एटी-०८८२	रिफ्यूज कलैक्टर	२००६	रु० ८०,०००/-
5.	जे०सी०बी०मशीन	एल एन्ड टी कम्पनी	१९९१	रु० १,२०,०००/-

- 1—नीलामी बोलने वाले व्यक्ति को प्रत्येक वाहन हेतु अंकन रूपये 25000/- का बैंक ड्राफ्ट, उपाध्यक्ष, एम.डी.ए. के नाम से नीलामी बोलने से पहले जमानत के रूप में जमा करना होगा। जमानत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जमा करने वाला व्यक्ति ही नीलामी में भाग ले सकेगा।
- 2—बैंक ड्राफ्ट के साथ बोली बोलने वाला व्यक्ति को अपने आधार कार्ड की छायाप्रति जमा करानी होगी।
- 3— बोली उपरान्त उच्चतम् बोलीदाता की जमानत धनराशि का ड्राफ्ट जमा करा लिया जायेगा एवं अन्य की जमानत राशि का ड्राफ्ट वापस कर दिया जोयगा।
- 4— सभी वाहन प्राधिकरण परिसर में खड़े हैं, जिनकी नीलामी जहाँ है जैसे है, के आधार पर की जायेगी।
- 5—नीलामी की स्वीकृति उपरान्त वाहन की शेष समस्त धनराशि सभी कर सहित एक सप्ताह में जमा कराने पर वाहन दिया जायेगा।
- 6—उच्चतम् बोलीदाता द्वारा वाहन की अवशेष धनराशि जमा न करने पर, जमा जमानत धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।
- 7—नीलामी की स्वीकृति/अस्वीकृति के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय उपाध्यक्ष, एम.डी.ए. का होगा।

Eo

प्रभारी अधिकारी—नजारत,  
मेरठ विकास प्राधिकरण,  
मेरठ।